44

# न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष
एम0के0सिंह
सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 1621–दो/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 18–7–2006 – पारित व्दारा – प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर–प्रकरण कमांक 1171–तीन/2000

1– अशोक कुमार 2– सतीश
3– दिलीप 4– विजय पुत्रगण विद्याराम
5– श्रीमती रामकली पत्नि स्व.विद्याराम
6– मुन्नी 7– मीना पुत्रियां स्व.विद्याराम
सभी जाति ब्राहमण निवासी रिठौरा कलॉ
तहसील मुरैना जिला मुरैना मध्य प्रदेश। --आवेदकगण

विरूद्ध

1– रमेश चन्द्र 2– रामकिशन
3– ओमप्रकाश 4– सुरेश
5– बालकिशन पुत्रगण पन्नालाल
निवासी रिठौरा कलॉ
तहसील मुरैना जिला मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी )
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(दिनांक 5 फरवरी, 2016 को पारित)

तत्का.प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 1171–तीन/2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–7–2006 के विरूद्ध यह पुनरावलोकन आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है आवेदक ने कलेक्टर मुरैना को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम रिठौरा कलॉ में उनके भूमिस्वामी स्वत्व पर ग्राम रिठौरा कलॉ में भूमि सर्वे नंबर 2311/1 रकबा 12 विसवा है जिसे वह शासकीय भूमि सर्वे कमांक 2013/3 रकबा 3 वीघा 5 विसवा नोईयत मुर्दा मवेशी से इसलिये बदलना चाहता है क्योंकि भूमि सर्वे नंबर 2311/1 रकबा 12 विसवा गॉव से दूर है एंव शासकीय भूमि सर्वे कमांक 2013/3 रकबा 3 वीघा 5 विसवा गॉव की बसाहट के निकट है जिसके कारण मुर्दा मवेशी मरने पर सड़ने से घरों में गॅध आती है इसलिये ग्रामीणों की सुविधार्थ भूमि विनिमय कर दिया जावे। कलेक्टर मुरैना ने आवेदन की जांच कराकर प्रकरण कमांक 12/1995-95 अ-19(4) पंजीबद्ध किया एंव आदेश दिनांक 19-3-1996 से आवेदक के स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 2311/1 रकबा 12 विसवा शासन हित में लेकर शासकीय भूमि सर्वे कमांक 2713/3 रकबा 3 वीघा 5 विसवा में से 12 विसवा रकबे का विनिमय करना स्वीकार किया एंव आवेदक के स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 2311/1 रकबा 12 विसवा की नोईयत मुर्दा मवेशी दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 108/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-5-2000 से अपील स्वीकार करते हुये कलेक्टर मुरैना का आदेश दिनांक 19-3-1996 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में अपील कमांक 1171-तीन/2000 होने पर आदेश दिनांक 18-7-2006 से अपील अमान्य की गई। इसी आदेश के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने। अनावेदकगण

को चस्पीदगी से तामील कराई गई, किन्तु वह अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही है। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल व्दारा आदेश दिनांक 18-7-06 में उन्होंने आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 17-5-2000 में डिसाईड किये गये आधारों को ठीक बताते हुये अपील निरस्त की है एंव उनसे यह प्रत्यक्षदर्शी भूल हुई कि कलेक्टर मुरैना ने भूमि विनिमय के ग्रामवासियों के घरों में मुर्दा मवेशियों की सढॉध न पहुंचे एंव कुत्ते विल्ली आदि जानबर हड्डियॉ मुहूँ में दवाकर गॉव में एंव घरों में प्रवेश न करें, इसलिये ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर भूमि विनिमय किया है। उन्होंने पुनरावलोकन स्वीकार करने की प्रार्थना की।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने आदेश दिनांक 17-5-2000 से कलेक्टर के आदेश को इसलिये निरस्त किया है क्योंकि विनिमय में दी गई भूमि गॉव के निकट होने अधिक कीमती है, जबकि नायव तहसीलदार वृत्त चार तहसील मुरैना का प्रतिवेदन क्रमांक 1/1991-92 अ-6 दिनांक 30-3-1995 इस प्रकार है :-

1. **सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया। अवधि समाप्त होने तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।**
2. **ग्राम पंचायत रिठौराकलॉ ने ठहराव/प्रस्ताव कमांक 17 दिनांक 29-3-92 से आवेदकगणों की भूमि स्वामित्व की भूमि से शासकीय मुर्दा मवेशी की भूमि विनिमय हेतु सहमति व्यक्त की है।**
3. **पटवारी कथनानुसार भूमि शासकीय मुर्दा मवेशी की भूमि पड़त है दोनों भूमियों के मूल्य समान हैं।**

अनुविभागीय अधिकारी ने भी नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से
सहमति व्यक्त कर ग्रामीणों के हित में भूमि विनिमय की अनुसॅशा
की है। स्पष्ट है कि कलेक्टर व्दारा आदेश दिनांक 19-3-1996 से
भूमि का विनिमय ग्रामवासियों के हित में एंव ग्राम पंचायत व्दारा
की गई अनुसंशा के आधार पर किया है, परन्तु आयुक्त, चम्बल
संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 17-5-2000 पारित करते
समय केवल अनावेदकगण के हित को ध्यान में रखा है एंव
संपूर्ण ग्रामवासियों के हितों को अनदेखा किया है जिसके कारण
उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 17-5-2000 वास्तविकता के
विपरीत है जिस पर ध्यान न देने में राजस्व मण्डल से आदेश
दिनांक 18-7-2006 पारित करते समय दृष्टिचूक हुई है।

6/ प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आया है
कि कलेक्टर मुरैना के समक्ष अनावेदकगण ने आपत्ति आवेदन
दिनांक 13-6-1995 प्रस्तुत किया है एंव आपत्ति आवेदन का
परीक्षण कर कलेक्टर व्दारा आदेश दिनांक 19-3-96 के पद 5
में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

> प्रकरण के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि प्रश्नाधीन
> शासकीय भूमि आपत्तिकर्तागण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के
> पास स्थित है आपत्तिकर्तागण प्रश्नाधीन शासकीय भूमि से होकर
> अपने खेतों पर आसानी से आते जाते रहे हैं। विनिमय से आने
> जाने की सुविधा अवरुद्ध होगी इस कारण उनके व्दारा आपत्ति
> प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत के ठहराव तथा प्रकरण में प्रस्तुत
> साक्ष्य के आधार पर आपत्तिकर्तागण की आपत्ति निराधार पाई जाती
> है।
>
> इसी प्रकार आदेश के पद 6 में विनिमय स्वीकार करते हुये
> व्यवस्था दी है कि ग्रामवासियों को खेतों पर आने जाने में कोइ
> बाधा उत्पन्न नहीं होवे।

स्पष्ट है कि कलेक्टर व्दारा ग्रामीणों की निम्न सुविधाओं का ध्यान
रखकर विनिमय स्वीकार किया गया है -

(5) पुनरा.प्र.क. 1621–दो/2006

1. आवागमन की सुविधा यथावत् रखी गई है।
2. मुर्दा–मवेशी वाली शासकीय भूमि आबादी के निकट होने से ग्रामवासियों के घरों में मुर्दा मवेशियों की सढॉध न पहुंचे एंव कुत्ते विल्ली आदि जानबर हड्डियॉ मुहूॅ में दवाकर गॉव में एंव घरों में प्रवेश न करें।

परन्तु आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने सर्वसुविधार्थ कलेक्टर व्दारा स्वीकार किये गये विनिमय को आदेश दिनांक 17–5–2000 से निरस्त करते हुये ग्रामीणों के हितों को अनदेखा कर मात्र अनावेदकगण को लाभ पहुंचाया है और यह तथ्य तत्का.प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 18–7–2006 पारित करते समय दृष्टि–ओझल होने से आयुक्त के आदेश दिनांक 17–5–2000 को यथावत् रखने में भूल की है जिसके कारण आयुक्त व्दारा पारित आदेश दिनांक 17–5–2000 एंव तत्का. प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–2006 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर तत्का.प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 1171–तीन/2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–7–2006 एंव आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 108/1998–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–5–2000 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा कलेक्टर मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 108/1998–99 अ–19 (4) में पारित आदेश दिनांक 19–3–1996 विधिवत् अनुरूप पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर